न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

बनाम

किस्म मुकदमा — मु. नं. — वर्ष

आज्ञा-पत्र

दिनांक	
23/9/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/10/19 को पेश हो। Sd
4/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/10/19 को पेश हो। Sd
11/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। बहस उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/10/19 को पेश हो। Sd
25/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। पत्रावली आदेश में है। आज समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/10/19 को पेश हो।
31-10-19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो। Sd

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/07/2010

रिछपाल आयु 50 वर्ष पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

1. **मंशा राम आयु 60 वर्ष पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर**
2. **गोपाल आयु 35 वर्ष पुत्र मंशा राम**
3. **बजरंग लाल आयु 32 वर्ष पुत्र मंशा राम**

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
01. श्री सोमनाथ शर्मा, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री प्रभातीलाल, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से

–आदेश–

दिनांक– 31.10.2019

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है प्रार्थी/वादी की ओर से वाद माननीय न्यायालय में विधिवत अत्यन्त ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को अपनी सफलता की पूरी पूरी आशा है। ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर राज0 की तन में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार आधिपत्य एवं स्वामित्व की तीन किता कृषि भूमियां खसरा नं. 458/333 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नं. 459/343 रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नं. 437/278 रकबा 5.10 हैक्टर अवस्थित चली आ रही है जिसमें से खसरा नं. 458/333 रकबा 0.33 हैक्टर के सीमा जोड पश्चिम की ओर अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि 457/333 रकबा 0.39 हैक्टर अवस्थित चली आ रही है मौजूदा प्रकरण में 458/333 का ही विवाद है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी के पश्चिम ओर के पडौसी है। अप्रार्थी सं. 1 के साथ प्रार्थी का कई वर्षों से विवाद चल रहा है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने हाल में ही दिनांक 21.01.2010 को प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 458/333 की पश्चिमी कूंट पर अचानक नींव खोदकर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया और अब लगातार प्रार्थी की जमीन पर अतिक्रमण कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में बरंग लाल से दिखाये गये स्थान पर एक पानी का होद एवं लेटरिन बाथरूम बनाने पर आमादा है लगातार निर्माण कार्य कर रहे है जबकि उन्हें प्रार्थी की कृषि आराजी में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थी वादी कृषि भूमि खसरा नं. 458/333 के खातेदार काश्तकार है। इसके कारण प्रार्थी वादी को अप्रार्थी द्वारा किये गये

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अतिक्रमण को हटवाने का अधिकार प्राप्त है। अगर अप्रार्थी प्रार्थी की कृषि आराजी पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने में सफल हो गये तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर न केवल प्रतिकूल असर पडेगा अपितु उन्हें इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में संभव नहीं है। इस कारण अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अनिवार्य होने से यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला सबल एवं सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का पक्ष भी प्रार्थी के हक में है। अतः सेवा में आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण कर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करने से तादौराने दावा बाज रहे।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 कि ओर से अभिभाषक श्री प्रभातीलाल ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थी ने अपने कुउद्देश्यों की पूर्ती के लिए आवेदन के उनवान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की वल्दियत गलत अंकित की है जो स्वीकार नहीं है सही वल्दियत निम्न प्रकार से है:-

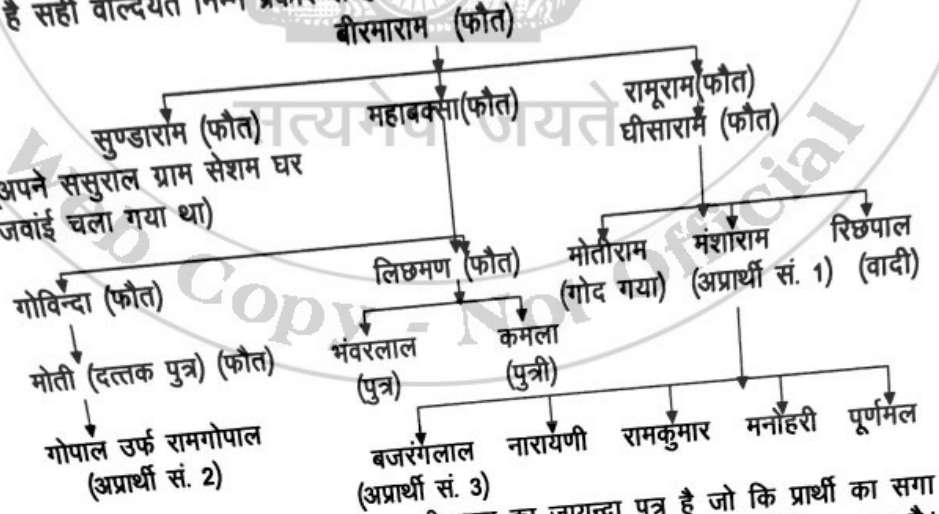

इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 स्व0 घीसाराम का जायन्दा पुत्र है जो कि प्रार्थी का सगा भाई है एवं अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र नहीं होकर स्व0 मोती का पुत्र है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में कोई ठोस आधार नहीं है इसलिए उसके द्वारा सफलता की आशा करना दुराशा मात्र है। ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 458/333 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा संख्या 459/343 रकबा 0.31 है0 खसरा संख्या 437/278 रकबा 5.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.80 है0 प्रार्थी की खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की नहीं होकर इन कृषि भूमियों में से 1/2 हिस्सा की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मंशा पुत्र घीसाराम, अप्रार्थी संख्या 3 तथा उसके भाई रामकुमार एवं पूर्णमल के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाते हुए धोखा में रखकर एक कूटरचित समोचन-पत्र 1/2 हिस्से की भूमि का अपने पक्ष में पंजिकृत करवा लिया था जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र बउनवानी मन्साराम बनाम रिछपाल आदि दावा संख्या 117/2004 प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 04/10/2010 को डिकी किया जाकर 1/2 हिस्से का अप्रार्थी संख्या 1 को काबिज

उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 एवं उसके भाईयों ने भी अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष खातेदारी अधिकारो, की उदघोषणा का दावा संख्या 66/2010 बउनवानी बजरंग लाल आदि बनाम मंशाराम प्रस्तुत कर रखा है जो कि विचाराधीन है इससे स्पष्ट है कि आवेदन की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात सम्पूर्ण से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है नाही सम्पूर्ण पर कब्जा है प्रार्थी मात्र 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 पिता पुत्र अवश्य है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र नहीं होकर स्व0 मोती का पुत्र है जिसका वादग्रस्त कृषि भूमियों से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है प्रार्थी ने गलत कथनों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है खसरा संख्या 458/333 एवं अन्य कृषि भूमियों पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके पुत्रों का निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 21/01/2012 को खसरा संख्या 458/333 की सींव नहीं काटी नाही उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि है उक्त खसरा संख्या 458/333 में अप्रार्थी संख्या 1 के वर्षो पुराना लेटरिन बाथरूम व पानी का होद है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने गलत कथन अंकित किये है। आवेदन की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता घीसा के कब्जा काश्त खातेदारी की पैतृक एवं सहदायिक कृषि भूमि है जिस कारण घीसा के स्वर्गवास के पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 05/06/2004 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ था। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अन्यथा लाभ प्राप्त करने के कुउददेश्य से यह आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है प्रार्थी नातो खसरा संख्या 458/333 का खातेदार काश्तकार है नाही आवेदन की मद संख्या 2 में वर्णित अन्य कृषि भूमियों का खातेदार काश्तकार है। नाही प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्के निर्माण को तुडवाने का कोई कानूनी अधिकार है अप्रार्थी संख्या 1 का पक्का निर्माण अपने पिता घीसा के जीवनकाल से ही है। जिस कारण प्रार्थी को बेदखली का आवेदन प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। उक्त वर्णित भूमि में से कृषि भूमि 5. 80 है0 में से 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि के अप्रार्थी संख्या संख्या 1 व 3 तथा रामकुमार व पूर्णमल काबिज खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है नाही प्रार्थी को कोई असीम क्षति होती है इसलिए आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी का ना तो प्रथम दृष्टया मामला सबल है नाही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नाही अपूरणीय क्षति प्रार्थी की होती है। अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण हमारी भूमि में अतिक्रमण कर रहे है। अतः इनको ताफैसला दावा भूमि का स्वरूप नहीं बदलने एवं अतिक्रमण नहीं करने हेतु टी.आई. जारी की जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनका जवाब ही बहस है। अतः प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत टी.आई. प्राप्त करने हेतु तीन आधारों का प्रार्थी के पक्ष में होना जरूरी है–

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

1/11/19 पत्रावली

पेश

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न नवीनतम जमाबंदी सम्वत् 2076–79 वाके ग्राम मण्डावरा के अनुसार विवादित भूमि खसरा सं. 458/333 रकबा 0.39 हैक्टेयर की खातेदारी रामगोपाल व प्रार्थी रिछपाल के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी ने विवादित आराजी के 1/4 हिस्से के सहखातेदार रामगोपाल पुत्र मोती जाति जाट नि. मण्डावरा को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः विवादित आराजी खसरा सं. 458/333 के संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– प्रार्थी विवादित खसरा सं. 458/333 रकबा 0.39 हैक्टेयर का एकल खातेदार नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

(C) अपूरणीय क्षति– समस्त सहखातेदारों के निवेदन के बिना अपूरणीय क्षति का बिंदु तय नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा सं. 458/333 के संबंध में तीनों आधार प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner